



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।  
(जिला राजस्व शाखा)

ac-giridih@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक 474/रा0, गिरिडीह, दिनांक 05/03/2024

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,  
गिरिडीह।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,  
सरिया।

विषय :-

बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी रद्द संबंधी अभिलेखों का प्रेषण।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि सरकार के मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2074/रा0 राँची, दिनांक 13.05.2016 एवं सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प संख्या-6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के अनुरूप नियमानुसार जमाबंदी रद्द करने संबंधी स्पष्ट अनुशांसा नहीं रहने के कारण मूल अभिलेख वापस की जाती है :-

क्र0 1	अभिलेख सं0 एवं वर्ष 2	पक्षकार 3	पता	अभ्युक्ति 4
01	145/2018-19	राज्य बनाम हरिहर मोदी, पिता- जेहल मोदी	साकिन बड़की सरिया	
02	141/2018-19	राज्य बनाम सावित्री देवी प्रती-प्रकाश मोदी	साकिन बड़की सरिया	
03	143/2018-19	राज्य बनाम रामाअवतार अग्रवाल, पिता-लाल अग्रवाल	साकिन बड़की सरिया	
04	144/2018-19	राज्य बनाम मुन्द्रिका देवी, पति-ब्रह्मदेव मोदी	साकिन बड़की सरिया	

अनुलग्नक :- 04 (चार) मूल अभिलेख।

विश्वासभाजन

  
05-03-2024


अपर समाहर्ता,  
गिरिडीह।

  
05-03-24

ज्ञापांक 474/रा0 गिरिडीह, दिनांक 05/03/2024

प्रतिलिपि :-

भूमि सुधार उप समाहर्ता, वगोदर-सरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
05-03-2024

अपर समाहर्ता,  
गिरिडीह।

  
05-03-24